

**न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर**

बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 20/2017

**अपीलान्त**

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट्स**

कुम्भाराम पुत्र दानाराम जाति  
जाट निवासी भदवासी  
तहसील व जिला नागौर।  
उपस्थिति :-

1मूलाराम दत्तक पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी भदवासी तहसील  
व जिला नागौर।  
2तहसीलदार नागौर।

1. श्री सांवरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कन्हैयालाल सुथार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक 27.3.18

{1}-अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम भदवासी के नामान्तरकरण सं. 454 निर्णय दिनांक 11.01.08 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.02.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 06.03.2017 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 की ओर से श्री कन्हैयालाल सुथार तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांत ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 454 दिनांक 11.01.08 की फोटोप्रति तथा वकील रेस्पोडेन्ट सं.1 ने बंटवाडा आदेश दिनांक 16.7.12 की फोटोप्रति, बंटवाडा डीड की फोटोप्रति तथा गोदनामा की फोटोप्रति पेश की है।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांत ने बहस शुरू करते हुए बताया कि

{2}(I)-अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी अपीलांत को नहीं थी। अभी करीब 20-25 दिन पूर्व अपीलांत ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से बंटवाडा करने का निवेदन किया तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बंटवाडा पूर्व में ही करवा लेने का कहा जिस पर अपीलांत ने रेकॉर्ड की नकले दिनांक 25.01.17 को प्राप्त की। तब रेकॉर्ड बाबत जानकारी हुई व नामान्तरकरण की नकल दिनांक 21.02.17 को लेने पर अणदी के फौतगी नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम स्वीकृत होने की सर्वप्रथम जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने गलत रूप से अणदी की सम्पति में हक अधिकार नहीं होते हुए भी अणदी की खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया। नकले प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। इसलिये जानकारी से अंदर मयाद अपील प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि इस मामले में भाईयों के बीच विवाद है। इसलिये गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील को काल बाधित नहीं माना जाना चाहिये। अपीलांत द्वारा आदेश जैर अपील की जानकारी होते ही अपील मय मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे अपीलांत के आचरण में सुस्ती, लापरवाही अथवा दुराशय भी नहीं है तथा विलंब असामान्य नहीं होने से तकनीकी आधारों के बजाय मामले को गुणावगुण पर निर्णीत करना चाहिये। इसलिये अपील अंदर मियाद सुमार मानी जाना उचित व न्यायसंगत है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (एससी) 2015 पेज 592, आरआरटी 2015 (2) पेज 878, आरआरटी 2011 (1) पेज 602, डीएनजे (राज) 2014 (3) पेज 1136, आरआरटी 2006-07 (Supp) पेज 372, आरआरटी 2012 (1) पेज 668, आरआरटी 2011 (2) पेज 1350, आरआरटी 2011 (2) पेज 829, आरआरटी 2008 (2) पेज 1183 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

{2}(II)-म्यूटेशन जैर अपील खिलाफ कानून व उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)-रेस्पोडेन्ट सं. 1 आज से करीब 45 वर्ष पहले ही रावतराम के गोद चला गया व अणदी के जीवन काल में ही गोद चला गया व रावतराम का उत्तराधिकारी हो गया। इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार



अपर कलक्टर, नागौर

अधिनियम के प्रावधानों व हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गोद जाने के दिन से ही दत्तक पुत्र का संबंध अपने जाइन्दा माता पिता से समाप्त हो जाता है व गोद के दिन से ही दत्तक पिता के उत्तराधिकार बाबत प्राकृतिक पुत्र के समान हक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं व जाइन्दा माता पिता के परिवार से संबंध समाप्त हो जाने के कारण जाइन्दा माता पिता की सम्पति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहता है। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट सं. 1 का संबंध आज से करीब 45 साल पहले ही दानाराम व अणदी के परिवार से समाप्त हो गये व दत्तक पुत्र के रूप में रावतराम के उत्तराधिकार के प्राकृतिक पुत्र के समान अधिकार प्राप्त हो गये। इसलिये दानाराम व अणदी की सम्पति में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का किसी प्रकार का हिस्सा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अणदी के खातेदारी के खेताय खसरा नं. 38 व 39 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं बनता है। इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 को अणदी की खातेदारी के खेताय में कोई अधिकार नहीं है व न ही उक्त खेताय में किसी प्रकार का हक हिस्सा ही बनता है व न ही प्राप्त करने का अधिकारी ही है। इसलिये विवादित म्यूटेशन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)—रेस्पोडेन्ट सं. 1 की नीयत अपने जाइन्दा माता पिता की सम्पति में बिना अधिकार के हिस्सा प्राप्त करने व अपीलांट की सम्पति को हडपने की रही इसलिये अपीलांट के भोलेपन व जानकारी नहीं होने व अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को अपना बड़ा भाई मानकर किये जा रहे विश्वास का फायदा उठाकर उक्त अणदी की खातेदारी के खेताय में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होते हुए भी अणदी की फौतगी नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज करवा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। क्योंकि अपीलांट तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 पर पूर्ण विश्वास करता था। इसलिये खेतों की खातेदारी की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने पटवारी हल्का के साथ मिलावट कर गलत रूप से अपीलांट के साथ धोखा करते हुए अपीलाधीन म्यूटेशन करवा लिया जो धोखा करते हुए कूट रचित रूप से बिना जानकारी दिये गलत रूप से हिस्से से अधिक बिना अधिकार के म्यूटेशन अपने नाम करवाया है। जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)—उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार नागौर ने न तो उत्तराधिकार बाबत जांच की व न ही उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का नोटिस जारी किया व बिना नोटिस दिये व बिना सुनवायी का अवसर दिये म्यूटेशन स्वीकृत किया है व म्यूटेशन हेतु दिये गये। आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर संपूर्ण कार्यवाही की है। यदि नोटिस देकर सुनवायी का अवसर दिया जाता तो अपीलांट द्वारा अवश्य गोद बाबत तथ्य प्रकट किये जाते व संपूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाती। संपूर्ण कार्यवाही मिलावट कर की गई है। इसलिये भी अपीलाधीन म्यूटेशन विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}— वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त खेताय पैतृक खेताय थे, इनका आपसी सहमति से बंटवाडा की लिखत दिनांक 16.07.12 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के बीच लिखी जाकर उसी दिन नोटेरी से तस्दीक कराया गया था व उसी रोज तहसीलदार नागौर को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त खेत का बंटवाडा हेतु आवेदन पेश किया था। जिस पर दोनों पक्षों को पूरी पूछताछ करके बंटवाडा किया गया था, उसी मुताबिक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो रखा है। ऐसी देशा में अपीलांट का यह कथन कि दिनांक 25.01.17 को नकल लेने पर जानकारी हुई, कहना पूर्ण रूप से झूठ है तथा आदेश जैर अपील की जानकारी वक्त बंटवाडा वर्ष 2012 में हो जाना रिकार्ड साबित हो जाने के बावजूद भी इतने विलंब से अपील प्रस्तुत की गई है। जो मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आदेश जैर अपील दिनांक 11.01.08 के विरुद्ध अपील करीबन 9 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है। देरी का कारण भी सदभाविक नहीं है तथा निराधार व बनावटी है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में अंदर मियाद की अर्जी बनावटी व झूठी कहानी पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दू परिवार में बच्चे के जन्म लेते ही उसका हिस्सा सम्पति में बन जाता है तथा गोद जाने वाले बच्चे को उसके सम्पति का अधिकार पूर्ववत् बने रहते है। इस आधार पर रेस्पोडेन्ट को पैतृक सम्पति के हक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2009 (1) पेज 488, आआरडी 2016 रामजीलाल बनाम रामजीलाल, आरआरटी 2015 (1) पेज 232, आरआरटी 2002 (1) पेज 77, आरआरडी 2003 पेज 416, आरआरटी 2012 (1) पेज 512 व सीसीसी 2015 (1) पेज 402 नजीरे प्रस्तुत की गई है।



{4}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में ग्राम भदवासी में स्थित भूमि खसरा नं. 158 के खातेदार फौत होने पर उसके वारिसान के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 454 दिनांक 11.01.08 से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 22.02.17 को प्रस्तुत की गई है। अपील करीब 9 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। जबकि प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नहीं है। अपीलांत 9 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रहा हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नहीं है तथा वर्ष 2012 में इसी भूमि को लेकर दोनो पक्षो ने आपसी रजामंदी से भूमि का विभाजन करवाया है तो अब उसका यह कथन कि उसे आदेश जैर अपील की पूर्व में जानकारी नहीं हो, जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांत की अपील चलने योग्य नहीं है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)  
अपर कलक्टर,  
नागौर